



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022023-243851
CG-DL-E-23022023-243851

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]
No. 108]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2023/फाल्गुन 4, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2023/PHALGUNA 4, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद् प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2023

फा. सं. 18-05/9525-आईएनसी.—भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि, मां मुंडेश्वरी पैरामेडिकल एंड नर्सिंग ट्रेनिंग संस्थान, गांव-ओदर, पीओ-ओदर, पीएस-सोहन, जिला कैमूर (भभुआ) - 821108, बिहार, बिहार राज्य सरकार और कर्नाटक नर्सिंग एंड रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा एएनएम कोर्स चलाने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, प्रधान सचिव, (H&FW) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए एक नोटिस सं. 18-5/9525-आईएनसी/11919 दिनांक 9/02/2021 जारी किया गया था। नोटिस दिनांक 9/02/2021 की एक प्रति मां मुंडेश्वरी पैरामेडिकल एंड नर्सिंग ट्रेनिंग संस्थान, गांव-ओदर, पीओ-ओदर, पीएस-सोहन, जिला कैमूर (भभुआ) - 821108, बिहार को भी भेजी गई थी। जारी नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

जबकि, मां मुंडेश्वरी पैरामेडिकल एंड नर्सिंग ट्रेनिंग संस्थान के मामले में परिषद राज्य सरकार से कोई सिफारिश नहीं मिली है। और मां मुंडेश्वरी पैरामेडिकल एंड नर्सिंग ट्रेनिंग संस्थान ने भी जारी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर समग्र विचार किया है। भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम 1947 की धारा 13 के तहत वैधानिक निरीक्षण से इनकार करना एक गंभीर मुद्दा है। केवल निरीक्षणों के आधार पर ही परिषद् नर्सिंग कोर्स संचालित करने के लिए नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के बारे में निर्णय लेने की स्थिति में होगी। निरीक्षण से इंकार करने का वास्तविक अर्थ यह होगा कि संस्थान के पास अपेक्षित शिक्षण, नैदानिक या आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं।

अतः इसलिए, भारतीय उपचर्या परिषद् धारा 14(3)(बी) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि 25/06/2022 से आगे मां मुंडेश्वरी पैरामेडिकल एंड नर्सिंग ट्रेनिंग संस्थान, गांव-ओदर, पीओ-ओदर, पीएस-सोहन, जिला कैमूर (भभुआ) - 821108, बिहार से एएनएम की योग्यता प्राप्त करने वाला हर एक व्यक्ति बिहार राज्य सरकार के आदेशों के अधीन केवल बिहार राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

ले. कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./635/2022-23]

**INDIAN NURSING COUNCIL
WITHDRAWAL ORDER**

New Delhi, the 22nd February, 2023

F. No. 18-05/9525-INC.— In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Maa Mundeshwari Paramedical & Nursing Training Sansthan** situated at **Village – Odar, PO – Odar, PS – Sonhan, Distt. Kaimur (Bhabhua) – 821108, Bihar** was recognized by State Government of Bihar and Bihar Nurses & Registration Council to conduct ANM Course.

Whereas, a notice no. 18-05/9525-INC/11919 dated 09/02/2021 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary (H&FW) Department of Health, Government of Bihar, Vikas Bhawan, New Secretariat, Bihar was issued. Copy of the notice dated 09/02/2021 was also enclosed **Maa Mundeshwari Paramedical & Nursing Training Sansthan** situated at **Village – Odar, PO – Odar, PS – Sonhan, Distt. Kaimur (Bhabhua) – 821108, Bihar**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Maa Mundeshwari Paramedical & Nursing Training Sansthan**. Even the institution **Maa Mundeshwari Paramedical & Nursing Training Sansthan** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Refusal for statutory inspection under section 13 of Indian Nursing Council Act 1947 is a serious issue. It is on the basis of inspections only that the Council would be in a position to decide about the suitability of the nursing institution to conduct nursing courses. Refusal for inspection would ipso facto mean that the institution does not possess the requisite Teaching, Clinical or infrastructural facilities.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) of Indian Nursing Council Act, 1947 declares that with effect from 25/06/2022 any person holding a recognized qualification of **ANM** from **Maa Mundeshwari Paramedical & Nursing Training Sansthan** situated at **Village – Odar, PO – Odar, PS – Sonhan, Distt. Kaimur (Bhabhua) – 821108, Bihar** shall be entitled to be registered only in the State of Bihar subject to orders of state government of Bihar.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./635/2022-23]